न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 61/15 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2015/00467

अनवान्

1. श्री शंकरलाल पिता माणा ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा खेडा तहसील मावली।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री भवानीशंकर पिता चतरभुज ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा खेडा तहसील मावली। फौत

1/1 श्रीमती नवलीबाई पत्नी भवानीशंकर ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।

1/2 श्री बंशीलाल पिता भवानीशंकर ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।

1/3 श्रीमती मोवनी पिता भवानीशंकर पत्नी मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।

1/4 श्रीमती कैलाशी पिता भंवानीशंकर पत्नी मदनलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।

1/5 श्रीमती लीला पिता भवानीशंकर पत्नी राधकिशन ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा तहसील मावली।

2. श्री बंशीलाल पिता भवानीशंकर ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा खेडा तहसील मावली।
3. श्री रमेश पिता बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा खेडा तहसील मावली।
4. श्री पुष्कर पिता बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा खेडा तहसील मावली।
5. श्रीमती नवलीबाई पत्नी भवानीशंकर ब्राहम्ण निवासी चन्देसरा खेडा तहसील मावली।

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री देवराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 04.08.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली की आराजी नम्बर 317, 318 किता 2 कुल रकबा 12 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी के नाम पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से अंकित हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात जो सम्पूर्ण मुझ प्रार्थी के नाम पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है और मेरे ही कब्जा काश्त में होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:04 IST
Reason: SelfAttested

और विपक्षीगण का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है न इनका कब्जा है फिर भी उक्त मुझ प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर अवैध्य रूप से दखलन्दाजी करते रहते है और अतिक्रमण कर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर उतारू है तथा नींव खोदकर पक्का निर्माण करना चाहते है और मेरी उक्त खातेदारी की भूमि से वृक्ष काटकर चुराकर ले जाते है इसलिए विपक्षीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है कि विपक्षीगण मुझ प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, न नींव खोदे और न ही निर्माण कार्य करवावें और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक अपनी खातेदारी व कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावें।

3. यह कि प्रार्थी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित भूमि का मैं खातेदार काश्तकार हूं, सुविधा संतुलन भी मेरे पक्ष में है क्योंकि मैं अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं और मेरे ही कब्जे उपभोग में है और यदि विपक्षीगण उक्त मेरे खातेदारी व कब्जे की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लेगे और नींव खोदकर पक्का निर्माण कार्य करवा लेगे तो इससे जो क्षति मुझे होगी उसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव है और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। यदि विपक्षीगण दौराने प्रार्थना पत्र वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर नींव खोदकर कोई निर्माण आदि कर लेवे तो उसे विपक्षीगण के खर्चे से जरिए आदेशात्मक निषेधाज्ञा द्वारा निर्माण तोडकर हटाया जावें।

4. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 30.05.2015 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण उक्त मेरी खातेदारी व कब्जे की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने हेतु नींव खुदवाने पर उतारू हुए व नींव खोदकर पक्का निर्माण कार्य करवाने की एलानिया धमकी दे रहे है उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में और विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षीगण उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न कब्जा करे, न नींव खोदे और न ही पक्का निर्माण कार्य करवावे और मुझ प्रार्थी को शांतिपूर्वक अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की बाधा न स्वयं उत्पन्न करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन आदि से करवावे और यदि दौराने प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की उक्त सम्पूर्ण भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवा लेवे तो उक्त कब्जा एवं निर्माण कार्य विपक्षीगण के खर्चे से हटाया जावें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3, 4 के जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी सं. 1, 2, 5 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान हाल आराजी नम्बर 317, 318 प्रार्थी के नाम पर अवश्य दर्ज है लेकिन आराजी नम्बर 317 रकबा 5 बिस्वा पर हम विपक्षीगण का कब्जा हमारे पूर्वजो के समय से यानी करीब 100 वर्ष से चला आ रहा है एवं आराजी नम्बर 317 में हमारे दादाजी चतरभुज ने मकान बनाया जिसमें वर्तमान में हम निवास कर रहे है जिसमें मुझ बंशीलाल के नाम पर विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन आराजी 317 पर हैं। विद्युत कनेक्शन वर्ष 1977 से है तथा पानी का नल कनेक्शन काफी पुराना हैं। आराजी नम्बर 317 में हमारा पुराना मकान हम प्रार्थीगण के दादाजी का बनाया हुआ मौजूद हैं। आराजी नम्बर 318 में स्वयं प्रार्थी का मकान बना हुआ हैं। ऐसी दशा में पेड काटना, बाड काटना सारे कथन गलत अंकित किये है। प्रार्थी ने मौके की सही स्थिति नहीं बताकर न्यायालय को गुमराह किया है एवं न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड से नहीं आया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय के डिसक्रिश्यप पर है और उसमें पार्टी पक्षकारों को मौके की सही स्थिति बताना आवश्यक है यहां पर प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौके पर पुराने मकान होते हुए भी उसको छिपाया है इसलिए प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

6. यह कि आराजी नम्बर 317 के लिए प्रार्थी का कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है। लम्बे समय से हमारा मकान बना हुआ है, नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन हम विपक्षीगण के नाम पर हैं। सुविधा संतुलन, अशोधनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। सुविधा संतुलन, अशोधनीय क्षति सभी बिन्दु हम विपक्षीगण 1, 2, 5 के पक्ष में हैं। प्रार्थी ने हम विपक्षीगण को परेशान करने के लिए दावा किया हैं। आराजी नम्बर 317 में 100 वर्ष से भी अधिक समय से मकान बना हुआ है उसे हटाने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं हैं। हमारे विरूद्व कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थना पत्र गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

7. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकार मुकदमा का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:04 IST
Reason: SelfAttested

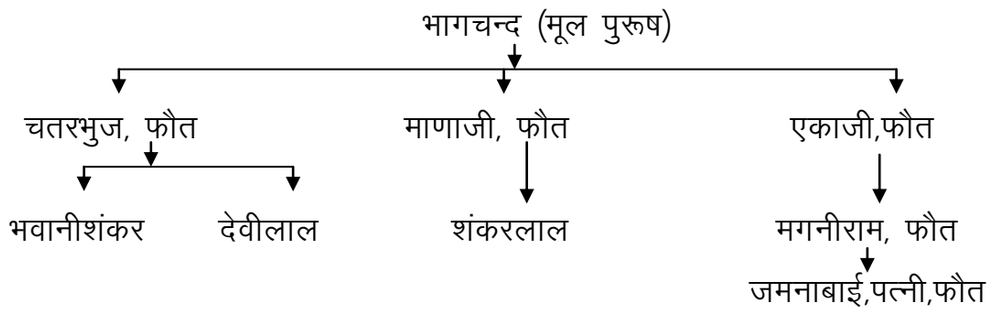

उक्त सजरे के अनुसार हम पक्षकार के मूल पुरूष भागचन्द जी थे एवं भागचन्द जी के तीन लडके हुए चतरभुज, माणाजी, एकाजी थे। चतरभुज जी फौत हो गऐ उनके मैं भवानीशंकर पुत्र हुं व एक पुत्र देवीलाल हैं। माणाजी फौत हो गऐ उनके पुत्र प्रार्थी शंकरलाल हैं। एकाजी फौत हो गऐ उनके लडके मगनीराम थे वो भी फौत हो ऐ व मगनीराम की बेवा जमनाबाई भी फौत हो गई हैं। हम सभी एक ही मूल पुरूष के वंशज है तथा उक्त आराजी नम्बर 317, 318 अकेले माणाजी की नहीं थी बल्कि मूल पुरूष भागचन्द से ही आई थी एवं उसमें भागचन्द के मरने के बाद चतरभुजजी, एकाजी, माणाजी व फिर भाई बंटवाडा से आराजी नम्बर 317 मुझ विपक्षी संख्या 1 के पिता चतरभुज जी के कब्जे में आई व चतरभुज जी ने अपने जीवनकाल में माणाजी व एकाजी के जीवनकाल में ही मकान बना लिया। वर्तमान में मुझ भवानीशंकर की आयु करीब 63 वर्ष है चतरभुज जी को मरे करीब 50 वर्ष हो गए है, कभी भी माणाजी व एकाजी ने विरोध नहीं किया अब माणाजी के लडके शंकरलाल ने लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर यह दावा किया हैं। आराजी नम्बर 318 संवत् 1971–73 के पर्चा लगान में जमना बेवा मगनीराम के नाम पर दर्ज थी इसके अलावा दिनांक 08.06.1983 को एक लिखापढी गांव के पंचो ने की एवं यह लिखा कि दिनांक 22.05.1983 को मगनीराम की बहू जमनीबाई का देहान्त हो गया है जिसका चाल चलावा, क्रियाकर्म अन्तिम सेवा चाकरी भवानीशंकर व भवानीशंकर की बहू ने की है इस वास्ते जमनीबाई के पास जो भी वाडा खेत है उसमें आधा भवानीशंकर तथा आधा शंकरलाल पिता माणा जी के रहेगा। इस तरह जमनाबाई के नाम पर जो आराजी नम्बर 318 की जमीन थी वह शंकरलाल पिता माणा के चली गई एवं आराजी नम्बर 317 भवानीशंकर जी के रह गई। इस तरह आराजी नम्बर 317 के मालिक भवानीशंकर जी हुए एवं आराजी नम्बर 318 का मालिक शंकरलाल पिता माणाजी हुऐ। चूंकि आराजी नम्बर 317 पर चतरभुज जी ने मकान बना लिया था इसलिए रेवेन्यु रेकार्ड में शंकरलाल का नाम होते हुए भी कब्जा चतरभुज जी का था इसलिए आराजी नम्बर 317 भवानीशंकर जी को दी गई इससे यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 317 से शंकरलाल का कोई लेना देना नहीं होकर उसका कब्जा नहीं हैं। आराजी नम्बर 317 का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:04 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि प्रार्थी ने बदनियति से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है एवं मौके की सही स्थिति नहीं बताई है इसलिए भी यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने योग्य हैं। आराजी नम्बर 317 पर हमारा मकान 100 वर्ष से भी अधिक समय से प्रार्थी व प्रार्थी के पिता की जानकारी में बना हुआ है तथा हमारे नाम पर बिजली कनेक्शन व नल कनेक्शन लगा रखा है तथा हमारा कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

9. **काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन** किया कि आराजी नम्बर 317 भाई बंटवाडे से तथा लम्बे समय से हम विपक्षीगण के कब्जे में है एवं उस पर हमारे मकान बने हुए है उस पर बिजली व नल कनेक्शन भी है लेकिन वर्तमान में आराजी नम्बर 317 प्रार्थी के नाम पर दर्ज होने से हम विपक्षीगण रेवेन्यु रेकार्ड में उसके नाम से हटाकर हमारे नाम पर खातेदारी हक की घोषित कराने के अधिकारी है जिसके लिए काउन्टर क्लेम आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया हैं। खानदान का सजरा प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट है कि हम विपक्षीगण व प्रार्थीगण एक ही मूल पुरूष भागचन्द के वंशावली में आते है। इसलिए फैमिली सेटलमेन्ट के आधार पर आराजी नम्बर 317 हमारे नाम पर हमारे हिस्से में आई है एवं खुले रूप से लम्बे समय से निरन्तर शांतिपूर्वक हमारा कब्जा चला आ रहा है, 100 वर्ष पूर्व मकान बनाया तब से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। इस तरह विकल्प में हमारा निवेदन है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आराजी नम्बर 317 हमारी खातेदारी की होने की घोषणा कराने के अधिकारी है तथा प्रार्थी के नाम से आराजी नम्बर 317 हटाने के अधिकारी हैं। साथ ही प्रार्थी गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थनाग्रस्त भूमि को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरण करने की धमकीयां दे रहे है तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और उक्त भूमि उपयोग उपभोग में भी व्यवधान पैदा कर रहा है। ऐसी दशा में प्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं। हम विपक्षीगण को काउन्टर क्लेम कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि हम विपक्षी संख्या 1, 2, 5 का काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हम विपक्षीगण के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 317 एवं उसमें बने मकान का प्रार्थी हम विपक्षीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे एवं प्रार्थी अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रेकार्ड में यथावत स्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:04 IST
Reason: SelfAttested

10. **प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1, 2 व 5 के काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर** निवेदन किया कि वादगत आराजी नम्बर 317 मुझ प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है और लम्बे समय से मुझ प्रार्थी के नाम पर रेवन्यु रेकार्ड में खातेदारी हक से अंकन चली आ रही है और मेरे ही कब्जे अधिकार में होकर मेरे द्वारा ही अपनी भूमियों का उपयोग उपभोग किया जा रहा है जिसमें विपक्षीगण का कोई हक अधिकार, कब्जा नहीं रहा है और न ही उक्त भूमि भाई बंटवाडे से विपक्षीगण के कब्जे में है। विपक्षीगण केवलमात्र इस तरह के भ्रामक एवं मिथ्या कथन कर मेरी खातेदारी अधिकार की भूमियों को हथियाने के प्रयास कर रहे है और इसी नियत से विपक्षीगण ने यह मिथ्या काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिसमें विपक्षीगण को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। मुझ प्रार्थी की खातेदारी की भूमियों पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं है और न ही विपक्षीगण के मकान है और न ही मेरी खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 317 फैमिली सेटलमेन्ट के आधार पर विपक्षीगण के हिस्से में रही हैं। विपक्षीगण इस तरह के मिथ्या कथनो की आड लेकर मेरी खातेदारी की जमीन को हडपना चाह रहे है और मेरे ऊपर निरन्तर दबाव बना रहे है जबकि विपक्षीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थी इस भूमि का खातेदार काश्तकार हूं और मेरे नाम पर रेवन्यु रेकार्ड में भी दर्ज हैं। इसके विपरित विपक्षीगण न तो इस भूमि के खातेदार है और न ही मालिक हैं। ऐसी अवस्था में विपक्षीगण उक्त भूमि को किसी भी सूरत में अपने नाम पर घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है और न ही इनको मेरी भूमि का स्वामी घोषित किया जा सकता है और न ही विपक्षीगण मेरे खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं। प्रार्थी के विरूद्व विपक्षीगण को कोई काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र कारण पैदा नहीं होता हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र पूर्णतया गलत एवं मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। विपक्षीगण मुझ प्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

11. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:13:04 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***प्रथम दृष्टया मामला–*** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। विपक्षीगण उक्त भूमि के वर्तमान में खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड होकर खातेदार काश्तकार है परन्तु विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है परन्तु विपक्षीगण द्वारा आराजी नम्बर 317 पर वर्षों पूर्व मकान बना होकर निवास करना बता रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उभय पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद हैं। दोनो ही पक्ष अपना–अपना कब्जा बताने से प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. ***सुविधा का संतुलन–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि को लेकर उभय पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है। यदि किसी एक पक्षकार को पाबंद किया जाता है अथवा किसी भी पक्षकार को पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे दोनो ही पक्षों को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन का बिन्दू भी उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।
3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं। उभय पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है यदि उभय पक्षकारान मौके पर निर्माण, खुर्द बुर्द हस्तान्तरण आदि कर लेते है तो उभय पक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

13. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested

के खाता संख्या 620 पर दर्ज आराजी नम्बर 317, 318 किता 2 कुल रकबा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे अनुसार प्रार्थी व विपक्षी एक ही परिवार के सदस्य होना जाहिर होता है। विपक्षीगण द्वारा आराजी नम्बर 317 भाई बंटवाडा से अपने पक्ष में आना बताया तथा आराजी नम्बर 317 में मकान बना होकर नल कनेक्शन व विद्युत कनेक्शन होना बताया।

पत्रावली से अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है परन्तु विपक्षीगण का कब्जा होकर मकान बना हुआ हैं। उभय पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद हैं। यदि उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान ही मौके पर निर्माण कर मौका परिवर्तन कर देते है तो इससे उभय पक्षकारान को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में दिनांक 02.06.2015 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। ऐसी स्थिति में उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067—70 के खाता संख्या 620 पर दर्ज आराजी नम्बर 317, 318 किता 2 कुल रकबा 12 बिस्वा भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:13:04 IST
Reason: SelfAttested